


134

पंजीकरण
आदि के

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा म०प्र०



11/12/12
बिल 2122
के के मन्त
शिवकन्ठ तनुय बबअु भूर्तिया

R 1003 - III/13

C.F. Rs 20/-

656
11/12/12

शिवकन्ठ तनुय बबअु भूर्तिया निवासी ग्राम जियावन तह. देवसर जिला सिंगरौली म०प्र०

.....आवेदक

बनाम

1. श्रीमती प्रेमकली पत्नी नीलकन्ठ भूर्तिया।
2. मू. बलिया बेवा पत्नी बबअु भूर्तिया।
3. हिरिया - पुत्री बबअु भूर्तिया उक्त सभी निवासी ग्राम जियावन तह. देवसर जिला
4. सितवा } सिंगरौली म०प्र०
5. बिटिया }

अधिवक्ता श्री मेहेन्ड अरिगुहानी

द्वारा प्रस्तुत।
रीवा दि० 11-X-2012

11/12/12
5/13/13

गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन पत्र विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सिंगरौली जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 62/निगरानी/2011-12 पर पारित आदेश दिनांक 19.09.2012 से व्यथित होकर

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म०प्र०

भू-राजस्व संहिता 1959।

महोदय,

निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर आवेदक द्वारा यह निगरानी आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है:-

अधिवक्ता

Handwritten signature



30

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-1003-III / 13

जिला सिंगरौली

शिवकन्ठ भूर्तिया / श्रीमती प्रेमकली भूर्तिया

(1)	(2)
19.12.18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 62/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 19.09.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p> <p style="text-align: left; margin-top: 100px;">  </p>